संख्या–1195/अड़सठ–3–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 4 अक्टूबर, 2019**

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 द्वारा शासनादेश सं0–1705/68–5–2018 दिनांक–22.11.2018 निर्गत किया गया है, जिसके कारण रसोईयों की संख्या के संबंध में पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

वर्तमान में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में रसोइया चयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 प्रभावी है, जिसके प्रस्तर–2 में विद्यालय में रसोइयों की संख्या हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित हैः–

क्रम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोइयों की संख्या
1	25 तक	1
2	26–100	2
3	101–200	3
4	201–300	4
5	301 से 1000	5
6	1001–1500	6
7	1501 से अधिक	7

2– उपर्युक्त संदर्भित संविलियन शासनादेश दिनांक–22.11.2018 प्रभावी होने के कारण कार्यरत रसोईयों की संख्या में कमी/वृद्धि होने के दृष्टिगत कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन एवं रसोईयां जन कल्याण समिति, उ0प्र0 द्वारा विद्यालय के संविलियन उपरान्त कार्यरत रसोईयों के नवीनीकरण/हटाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने के अनुरोध किया गया है।

3– उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन पाया गया हैः–

(क) संविलियन के उपरान्त विद्यालयों की संख्या में कमी आने की दशा में कार्यरत रसोइयों की संख्या के पुनर्निर्धारण की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

(1) संविलियन के उपरान्त रसोइयों की संख्या का निर्धारण शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अनुसार रसोइये का चयन सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से किए जाने का प्राविधान है। अतः संविलियन के उपरान्त शासनादेश द्वारा रसोइयों की अनुमन्य संख्या से अधिक रसोइया

कार्यरत होने की स्थिति में सर्वप्रथम उस अतिरिक्त रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा, जिनका पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या–2 के अनुसार कार्यवाही किए जाने की स्थिति के उपरान्त भी यदि अतिरिक्त रसोइया कार्यरत हैं, तो उक्त स्थिति में सबसे बाद में चयनित रसोइया (Last in First Out) को कार्य से विरत किया जाएगा।

(4) ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक रसोइया एक साथ अथवा एक सत्र में चयनित की गयी हों और उनमें से किसी एक को कार्य से विरत किया जाना हो, तो उस रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा, जिसकी आयु कम होगी।

(5) शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 में वर्णित है कि अभ्यर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी एवं विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः कार्यरत रसोइया, जो विधवा अथवा परित्यक्ता हैं, यथा सम्भव कार्य से विरत न किया जाय।

(6) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के कारण कार्यरत रसोइयों के नवीनीकरण के समय संख्या पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 में वर्णित समिति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) विद्यालयों के संविलियन की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के समय निम्नवत् सावधानियाँ भी विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाए :–

(1) संविलियन के उपरान्त विद्यालय के 'मध्यान्ह भोजन निधि' हेतु एक ही बैंक खाते का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तद्विषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत की दर भिन्न होने के कारण मध्यान्ह भोजन ग्रहण किए जाने से सम्बन्धित रिकार्ड एमडीएम की दो अलग–अलग पंजिकाओं यथा–कक्षा–1 से 5 एवं कक्षा–6 से 8 हेतु पृथक–पृथक रखा जाएगा।

(3) संविलियन विषयक कार्यवाही पूर्ण किये जाने तक विद्यालयों के संविलियन विषयक बिन्दु को टास्क फोर्स की बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित किया जाय।

(4) बच्चों को निर्धारित मात्रा में मेन्यू के अनुसार गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) योजना से सम्बन्धित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण (बर्तन, किचन उपकरण, एल0पी0जी0, कन्टेनर आदि) एक पंजिका में अंकित (स्टॉक इन्ट्री) कर लिया जाय। उक्त स्टॉक इन्ट्री का शतप्रतिशत सत्यापन सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) संविलियन किए गये विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण करते हुए शासनादेश द्वारा निर्देशित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ग) शासनादेश संख्याः 435(1)/79–6–2010, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1195(1)/अड़सठ–3–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
4. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. समस्त, मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
14. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2/नियोजन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।